प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 03.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम। नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरुक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

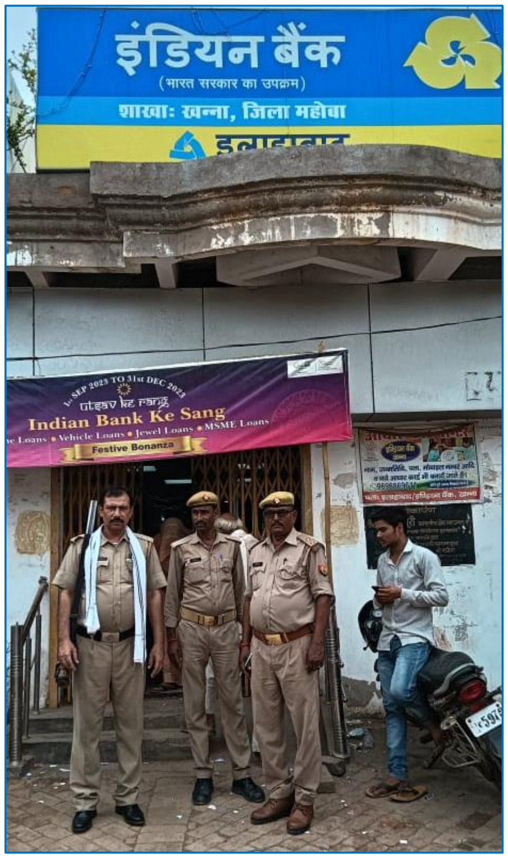

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद के सभी थानों में गोष्ठी का आयोजन कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर जनपदवासियों को इन नवीन कानूनों की जानकारी प्रदान कर किया गया जागरुक-

आज दिनांक 03.07.2024 को पूरे भारत देश के साथ ही जनपद महोबा में भी 03 नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुके हैं, इन नवीन कानूनों की जानकारी जनपदवासियों को हो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि इन नये कानूनों के प्रति लोगो को जागरुकता प्रदान की जाये व इसके लिये सभी थानों में गोष्ठी का आयोजन किया जाये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 01.07.2024 को जनपद के सभी थानों में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी, अभियोजन अधिकारी, थाना प्रभारियों द्वारा आज दिनांक **01 जुलाई 2024** से लागू **03** नये कानून (भारतीय न्याय संहिता-**2023,** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-**2023** व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-**2023)** के बारे में थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों**,** महिलाओं**,** युवाओं**,** व्यापारियों इत्यादि को नवीन कानूनों की जानकारी देकर विस्तृत रुप से जागरुक किया गया है।

नवीन अपराधों के प्रति जागरुकता गोष्ठी के दौरान बताया गया कि देश में **3** नये आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं**,** इसके तहत कई कानून बदल गए हैं**,** जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे**,** ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता**(BNS),** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**(BNSS)** और भारतीय साक्ष्य अधिनियम**(BSA),** इन तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा तथा नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे। नये कानूनों के अन्तर्गत भारतीय नारी**,** मासूम बच्चों**,** बुजुर्गों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीयों के भावनाओं की संहिता का अभिनंदन करें। कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों**,** अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम नागरिकों एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.07.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह का. शिवकुमार द्वारा अभियुक्त नीरज लखेरा पुत्र रमेशचन्द्र उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 मंगली बाजार कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 155/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरज लखेरा पुत्र रमेशचन्द्र उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 मंगली बाजार कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय
2. का. शिवकुमार

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा गूगलमीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी कर 01 जुलाई से लागू हुए तीन नवीन कानूनों के क्रियान्वयन, आगामी त्यौहारों व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा कर सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के साथ गूगलमीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा 01 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए तीन नवीन कानूनों यथा- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विधिक सलाह दी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन मानस में इन नये कानूनों के प्रचार प्रसार के लिये फ्लेक्सी बनवायी गयी हैं जो सभी थानों को प्रदान कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि सभी थाना प्रभारी इस फ्लेक्सी को थाने में मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगवाना सुनिश्चित करें जिससे लोगों में इन कानूनों के प्रति जागरुकता बढें साथ ही नये कानूनों के सम्बन्ध में जागरुकता पम्पलेट्स को भी वितरित किये जाने पर जोर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी मोहर्रम त्यौहार के सम्बन्ध में की गयी तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है कि इस दौरान निकलने वाले जुलूसों के रुट का भ्रमण कर लिया जाये, मिश्रित आबादी वाले स्थलों में विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये, धर्मगुरुओं, स्थानीय लोगों से लगातार संवाद बनाये रखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनायी रखी जाये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद हमीरपुर, राठ से थाना चरखारी अन्तर्गत काकून मन्दिर में दर्शन के लिये आते समय श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने सम्बन्धी दुर्घटना के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गयी हैं, इस सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी दी गयी है कि सभी अपने-अपने इण्ट्रीप्वाइंट्स पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार से मालवाहक वाहनों में बैठ कर सवारी न करने दी जाये, यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो उनको रोककर समझाबुझा कर उनके लिये सवारी वाहन की व्यवस्था कर उनको उनके गंतव्य के लिये रवाना किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे आषाढ़ मास व आने वाले श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा के मद्देनजर मन्दिरों, शिवालयों में भीड़ पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" थीम के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह का0 मो0 कामिल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 149/24 धारा 363/366/376/506/343/328 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरबाज खान पुत्र पीर मुहम्मद उर्फ अल्लू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को काशीराम कालोनी के पास कस्बा चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरबाज खान पुत्र पीर मुहम्मद उर्फ अल्लू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विनोद कुमार सिंह

का0 मो0 कामिल